न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

A13

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 155/2013

1. रमिन्द्रसिंह पुत्र स्व. गुरवेन्द्रसिंह
2. रूपिन्द्र कौर पत्नी गुरवेन्द्रसिंह
3. किरण पुत्री गुरवेन्द्रसिंह
4. गुरचरणसिंह पुत्र हरबंससिह
5. कंवलजीसिंह पुत्र हरबंससिंह
6. हरविन्द्रसिंह पुत्र दीवानसिंह
7. अजमेरसिंह पुत्र दीवानसिंह

} जाति जटसिख साकिन 2 एम.एल. हाल गुरूनगर श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. किशनलाल पुत्र रामचन्द्र (मृतक)
   - 1.1 बिमलादेवी पत्नि किशनलाल
   - 1.2 अरूणादेवी पुत्री किशनलाल
   - 1.3 अशोक कुमार बिहाणी पुत्र किशनलाल (मृतक)
   - 1.4 अरविन्द कुमार बिहाणी पुत्र किशनलाल
   - 1.5 मन्जू पुत्री किशनलाल
   - 1.6 अश्विनी कुमार बिहाणी पुत्र किशनलाल
   - 1.7 अनुपमा पुत्री किशनलाल
2. अशोक कुमार पुत्र किशनलाल (मृतक)
   - 2.1 निरूपमा बिहाणी पत्नि अशोक कुमार
   - 2.2 अजय कुमार पुत्र अशोक कुमार
   - 2.3 अभय बिहाणी पुत्र अशोक कुमार

} जाति माहेश्वरी निवासी पुरानी धान मण्डी दुकान नम्बर 2 श्रीगंगानगर।

3. दयालो पत्नि गण्डाराम
4. मिलखीराम पुत्र गण्डाराम
5. जीताराम पुत्र गण्डाराम
6. पप्पूराम पुत्र गण्डाराम
7. कश्मीरराम पुत्र गण्डाराम
8. भोली पुत्री गण्डाराम पत्नि दुलाराम
9. जीता पुत्री गण्डाराम पत्नि तोताराम
10. सरजीतो पुत्री गण्डाराम पत्नी जम्मुराम

} जाति बाजीगर निवासी 2 एम.एल. बाजीगरों की ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

11. स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए आर.टी.ए. बाबत विभाजन एवम् खातेदारी अधिकारों की घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री कुलविन्द्र सिंह अधिवक्ता	वादीगण
2. मनिष कुमार भारद्वाज अधिवक्ता	प्रतिवादीगण 1.1 ता 2.3
3. श्री भूराराम स्वामी अधिवक्ता	प्रतिवादीगण 3 ता 7, 9, 10

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 27.09.2016

वादीगण ने प्रतिवादीगण यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 तथा स्व. पोखरराम व स्व. गण्डाराम जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 होनें का पता चला है, के नाम चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 19/16 मुरब्बा नम्बर 40 की 2.530 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 42 में 0.822 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 43 का 0.177 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 65 में 2.976 हैक्टर नहरी 0.114 खाला कुल 6.190 हैक्टर रकबा मुश्तर्का खाता में खातेदारी दर्ज है घरू बंटवारा के अनुसार मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 16 ता 20 पर कवंलजीतसिंह एवम् किला नम्बर 21 ता 25 गुरचरणजीतसिंह मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 ता 10 की 0.089 भूमि गुरचरणसिंह एवम् कवलजीतसिंह के कब्जा काश्त में चली आ रही है इस प्रकार चक 2 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 42 का समस्त रकबा प्रतिवादी कृष्णलाल अशोक कुमार अश्वनी कुमार अरविन्द्र कुमार आदि के कब्जा में चली रही है। इसी प्रकार मुरब्बा नम्बर 65 में नक्शा में अंकित रकबा वादी संख्या 1 ता 7 के कब्जा कास्त में अरसा दराज से चला आ रहा है। जो कि मुरब्बा नम्बर 65 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4 में 0.177, 7 में 0.051, 8, 9, 10, 11, 12, 13 में 0.177 18 में 0.0510, 19 में 0.114, 20/1 में 0.0630, 20/2 में 0.0760, 21, 22/1 में 0.1040 कुल 0.0900 हैक्टर वादीगण नें अपनें कब्जा काश्त की भूमि में सुधार किया है। तथा मौके की तथा अधिक कीमती बन गई है। प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है तथा वह अच्छी व हमारें कब्जा की भूमि को मुन्तकिल करके अनुचित लाभ उठाना चाहते है अतः दावा डिक्री खाता विभाजन कब्जा कास्त के आधार पर किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9, 11–12 की और से दिनांक 09.10.2013 को श्री भूरामल स्वामी अधिवक्ता एवम् मनीष भरद्वाज अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 10 के विरूद्धदिनांक 09.10.2013 को पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रतिवादीगण की और से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं होनें पर दिनांक 01.10.2014 को जबाब बन्द कर स्टेट जबाब हेतु रखी गई दिनांक 02.12.2014 को स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत हुआ दिनांक 24.03.2015 को निम्नाकित तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 19/16 मुरब्बा नम्बर 40, 42, 43, 65 की 6.6180 हैक्टर भूमि संयुक्त खाते में है खाता विभाजन कर लगान आदि अलग से कायम किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जी जावे। कब्जा काश्त में किसी प्रकार से बाज व ममनू रहे ? – – वादीगण
2. आया कि उक्त विवादास्पद भूमि जो हमारे कब्जा में है, को खाता विभाजन नें दी जावे ? – – वादीगण
3. अनुतोष।

तनकीयात कायमी के पश्चात साक्ष्य वादीगण हेतु रखी गई वादीगण के वकील नें प्रतिवादीगण की और से कोई विरोध/जबाब नहीं आनें के कारण साक्ष्य नहीं करवाकर दिनांक 03.06.2015 को बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण खाता विभाजन का है। प्रतिवादीगण का कोई जबाब नहीं है इसलिये साक्ष्यों की कोई आवश्यक्ता नहीं है संयुक्त खातों में वादीगण का हिस्सा है अतः संयुक्त खाते से वादीगण का हिस्सा अलग करने की प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से प्रस्ताव मंगवा लिये जाकर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन कर निर्णय कर दिया जावें प्रतिवादीगण की ओर से वकील हाजिर नहीं आये।

वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवम् प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 19/16 में मुरब्बा नम्बर 10 में 2.530, 42 में 0.8220, 43 में 0.1717, 65 में 3.0900 कुलज 6.6190 हैक्टर भूमि सयुक्त खाता में है, जिसमें वादीगण की 5.274 हैक्टर दर्ज है, उक्त भूमि वादीगण की मुश्तर्का खाते में है खाता विभाजन कर लगान आदि अलग कायम करवाना चाहते है उक्त खातो में वादीगण का हिस्सा दर्ज है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से अच्छी–बुरी एवम् कब्जा के अनुसार जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा के अनुसार मय नक्शा वर्तमान जमाबन्दी सहीत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 को मध्यनजर रखते हुए प्रस्ताव मंगवाये गये।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्र संख्या 2332 दिनांक 08.07.2015 के द्वारा प्रस्ताव भिजवाये गये जिसमें भूमि रिसीवर होनें का उल्लेख होनें के कारण रिसिवर शुद्धा भूमि के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पुनः प्रस्ताव चाहे गये तहसीलदार द्वारा रिसीवर शुद्धा भूमि के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनें पत्रांक 738 दिनांक 05.05.2016 को पुनः प्रस्ताव भिजवाये गये।

दिनांक 20.06.2016 को अरविन्द कुमार व अश्वनी द्वारा जरिये अधिवक्ता मनीष भारद्वाज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी किशनलाल तथा अशोक कुमार की मृत्यु हो गई है, और उनके विधिक प्रतिनिधिगण को प्रतिवादीगण के रूप में संस्थित किये बिना कोई आदेश पारित नही किया जा सकता विधि अनुसार मृतकगणो के वारिसान को संस्थित किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वादी अधिवक्ता को दिलाई गई वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23.08.2016 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मृतकगणों के वारिसान को सूची पेश कर प्रविवादीगण के रूप में प्रतिस्थापित करनें हेतु निवेदन किया जिसे पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा अनाप्ति जाहीर किये जानें पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया दिनांक 14.09.2016 को वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया ।

दिनांक 20.09.2016 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक 738 दिनांक 05.05.2016 के द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव पर सहमती जताते हुए विभाजन आदेश जारी करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादी विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात तथा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक 738 दिनांक 05.05.2016 के द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव का अवलोकन किया बाद अवलोकन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188, 92ए के तहत वादीगण एवम् प्रतिवादगणों के मध्य खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादीगण 1 ता 3 व 6 :– रमिन्द्रसिंह पुत्र गुरवेन्द्रसिंह, रूपिन्द्र कौर पत्नी गुरवेन्द्रसिंह, किरण पुत्री गुरवेन्द्रसिंह बहिस्सा बराबर 1.328 हैक्टर, हरविन्द्रसिंह पुत्र दीवानसिंह 1.328 हैक्टर रकबा :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 एम.एल.	65	1 ता 3	0.759 हैक्टर
		4	0.177 हैक्टर
		7	0.051 हैक्टर
		8 ता 12	1.265 हैक्टर
		13	0.177 हैक्टर
		18	0.051 हैक्टर
		19	0.144 हैक्टर
		20/1	0.063 हैक्टर
कुल भूमि			2.657 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

लगातार 4

2. वादी संख्या 4 :– गुरचरणजीतसिंह का 1.265 हैक्टर रकबा :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 एम.एल.	40	21 ता 25	1.265 हैक्टर

3. वादी संख्या 5 :– कवंलजीतसिंह का 1.265 हैक्टर रकबा :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 एम.एल.	40	16 ता 20	1.265 हैक्टर

4. वादीगण संख्या 4, 5, व 7 गुरचरणजीतसिंह, कंवलजीतसिंह पिसरान हरबंशसिंह 0.088 हैक्टर अजमेरसिंह पुत्र दिवानसिंह 0.089 हैक्टर रकबा :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 एम.एल.	43	1	0.114 हैक्टर
		10	0.063 हैक्टर
कुल			0.177 हैक्टर

5. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 का हिस्सा मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1/.152, 10/.164, 11/.177, 20/.177, 21/.152, मुरब्बा नम्बर 65 के किला नम्बर 20/2 में 0.076, 21/.253, 22/1 में 0.104 कुल 1.255 हैक्टर नहरी खाला की भूमि में में पूर्वानुसार हिस्सा कायम रहेगा।

चक 2 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 65 किला नम्बर 21/.253, 22/1 में0.088 हैक्टर प्रतिवादीगण का रकबा जो रिसीवर है में में मूल पत्रावली में निर्णय तक रिसीवर है तो मूल पत्रावली में निर्णय किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी बैक आदि से ऋण ले रखा हो तो समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। निर्णय कर प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.09.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर